उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-3
सख्या-02/2017/927/84-3-16-नि0-11/2008,टी0सी0
लखनऊ :: दिनांक 04 जनवरी, 2017

कार्यालय आदेश

उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-3 के कार्यालय आदेश संख्या-06/2016/485/84-3-2016-नि0-11/2008टी0सी0, दिनांक 08 जुलाई, 2016 द्वारा श्री प्रवीन श्रीवास्तव, वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था के वित्तीय एवं लेखा सम्बन्धी कार्यो के सम्पादन हेतु अधिकृत किया गया है।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री प्रवीन श्रीवास्तव, वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की अनुपस्थिति में श्री साजिद आजमी, वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम को एतद्द्वारा उनके वर्तमान पद के कार्य के साथ-साथ उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था के वित्तीय एवं लेखा सम्बन्धी कार्यो के सम्पादन हेतु लिंक अधिकारी नामित किया जाता है। इस हेतु श्री साजिद आजमी को कोई अतिरिक्त वेतन-भत्ते आदि देय नहीं होंगें।

बाल कृष्ण त्रिपाठी
विशेष सचिव।

सख्या-02/2017/927(1)/84-3-16तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग।
2- अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 सचिवालय सत्कार सेवा संस्था, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- श्री साजिद आजमी, वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।
4- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड, लखनऊ।
5- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम।
7- श्री प्रवीन श्रीवास्तव, वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम लखनऊ।
8- वित्त (सेवायें) अनुभाग-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
9- उपभोक्ता संरक्षण एवं बॉट माप अनुभाग-1
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in